

उत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

// अधिसूचना //

रायपुर, दिनांक 7 06. 2004.

क्रमांक 3423 /डी-965/21-ब/स. ग./04, - कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 1984 का सं० 66 की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात् एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट कुटुम्ब न्यायालय की स्थापना, उक्त अनुसूची के कॉलम (3) की शक्तियों प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट मुख्यालयों पर उनके अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिये तारीख 14 जून, 2004से करती है :-

:: अनुसूची ::

अनुसूची	न्यायालय का नाम	मुख्यालय	अधिष्ठा रिता
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कुटुम्ब न्यायालय रायपुर.	रायपुर	संपूर्ण राजस्व जिला रायपुर

NOTIFICATION

No. 3423 /D-965/XXI-B/C.G./04, - In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Family Court Act, 1984 (No.66 of 1984), the State Government hereby after consultance with the High Court, establish with effect from the 14th June, 2004 , the Family Court specified in column(2) of the Schedule below, at the Headquarters specified in the corresponding entries in column (3) for the areas specified in column (3) for the areas specified in column (4) of the said Schedule :-

:: SCHEDULE ::

S.No.	Name of the Court	Headquarters	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Family Court Raipur	Raipur	Whole Revenue District, Raipur.

उत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

Handwritten signature and date 7/6/04

फाइल नं० 3023/ए-965/21-व/स.न./04

रायपुर, दि० 7.06.2004.

प्रतिनिधि :-

उपनिवार, जिला, रायपुर, मुख्य कार्यालय, रायपुर,

उपनिवार, जिला, रायपुर, मुख्य कार्यालय, रायपुर, उ.ग. की  
ओर उचित संकेत राखकर सुनिश्चित रूप से आवासीय अंक में अतिवार्य  
का मे एक विज्ञापन प्रकाशित हो प्रत्येक का विभाग को भेजने हेतु,

का को प्रकाशित कर आवासीय कार्यवाही में प्रयोजित ।

उपनिवार, जिला, रायपुर, मुख्य कार्यालय, रायपुर,  
उ.ग. की ओर उचित संकेत राखकर सुनिश्चित रूप से आवासीय अंक में अतिवार्य  
का मे एक विज्ञापन प्रकाशित हो प्रत्येक का विभाग को भेजने हेतु,

1th

e  
n

269  
3/2/04  
सा  
जा